

**बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग।**

प्रपत्र-१

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन स्वाभाविक मृत्यु/दुर्घटना मृत्यु के मामले में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र।

(तीन प्रतियों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा।*)

1.	(क) मृतक का नाम	—
	(ख) उम्र	—
	(ग) कार्य का स्थान	—
	(घ) कार्य का प्रकृति	—
	(ङ) पता	—	ग्राम/मुहल्ला — पंचायत/वार्ड — पो0 — थाना— अंचल/प्रखण्ड जिला —

#2. दुर्घटना मृत्यु की विवरणी :—

(क)	दुर्घटना की तिथि	—
(ख)	समय	—पूर्वाहन/अपराहन.....
(ग)	स्थान	—
(घ)	दुर्घटना का व्योरा	—
(ङ)	मृत्यु की तिथि एवं समय	—

#3. स्वाभाविक मृत्यु की विवरणी :—

(क)	तिथि	—
(ख)	समय	—पूर्वाहन/अपराहन.....
(ग)	स्थान	—
(घ)	मृत्यु का कारण	—
(ङ)	मृत्यु की तिथि एवं समय	—

4. मृत्यु प्रमाण पत्र/पोस्टमोर्टम प्रतिवेदन (यदि लागू हो) निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम एवं पदनाम —

5. दावेदारों का व्योरा :—

मृतक के आश्रित निम्नांकित है :—

(i)	नाम —	पता —
	मृतक के साथ संबंध —	
(ii)	नाम —	
	मृतक के साथ संबंध —	
(iii)	नाम —	पता —
	मृतक के साथ संबंध —	

6. संलग्न दस्तावेज :—

आवेदन के साथ निम्नांकित दास्तावेज संलग्न रहेंगे —

- (i) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण—पत्र।
- (ii) दुर्घटना के संबंध में थाना में दी गयी सूचना की एक प्रति/मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा दुर्घटना के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र, यदि कानून के अधीन थाना को सूचित करना आवश्यक नहीं हो।
- (iii) मृत्यु प्रमाण—पत्र या जाँच प्रतिवेदन या पंचनामा, जैसा भी मामला हो (केवल दुर्घटना मृत्यु के मामले में)।

- (iv) मृतक का आवासी प्रमाण पत्र।
 - (v) मृतक के उम्र का प्रमाण पत्र।
 - (vi) मृतक के नियोजन के कार्य की प्रकृति के संबंध म मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्श्व द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
मैं/हम घोषणा करता हूँ/हैं कि उपरोक्त सूचना मेरे/हमारे जानकारी के अनुसार सही है।
मैं/हम घोषणा करता हूँ/हैं कि दी गयी सूचना अगर गलत पाई जाती है, तो मेरा/हमलोगों का दावा अवैधानिक माना जाएगा और मैं/हम कानून के तहत अभियोजन के भागी होंगे।
- साक्षी

1. नाम एवं पता	1 —
(क)	2 —
(ख)	3 —
-----	-----

दावेदारों का हस्ताक्षर

- * आवेदक को पावती के साथ एक प्रति लौटा दी जाएगी।
- # जो लागू न हो उसे काट दें।

**प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय –
जिला –
जाँच प्रतिवेदन**

- (क) आश्रितों की प्रमाणिकता
- (ख) मृत्यु के कारण के संबंध में मंतव्य
- (ग) क्या मृतक असंगठित क्षेत्र में मजदूर के रूप में नियोजित था अथवा शिल्पकार था जैसा कि योजना में परिभाषित हैं..... हाँ / नहीं
- (घ) अगर हाँ, तो किस तरह के कार्य में नियोजित था
- (ङ) मृतक की आयु

इस दावे की जाँच मेरे द्वारा की गई/जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। मैं अनुशंसा करता हूँ कि दावे के इन कारणों से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकता है।

स्थान :

तारीख :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर (मुहर)

जिला पदाधिकारी का कार्यालय

दावा की जाँच (पदाधिकारी का नाम) द्वारा की गयी एवं उसका जाँच प्रतिवेदन स्वीकार योग्य है/स्वीकार योग्य नहीं है। दावा स्वीकृत किया जाता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि आश्रितों को रु0 का भुगतान किए जाए/दावा को निम्न कारणों से खारिज किया जाता है :—

श्रम अधीक्षक/
सहायक श्रमायुक्त
या
जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

जिला पदाधिकारी,
का हस्ताक्षर (मुहर)।

स्थान :
तारीख :

आश्रितों श्री श्री

श्री को रुपये का भुगतान तारीख

को चेक / बैंक ड्राफ्ट संख्या

तारीख जारी करने वाले बैंक द्वारा किया गया।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर
एवं मुहर